प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिये)

(मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958)

स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र

भाग - क

कार्यालय: District Labour Office, INDORE

(1) पंजीयन क्रमांक: INDO240627SE016469

(2) स्थापना का नाम: RAJ RAJESHWARI PLOTTING AND HOMES

(3) स्थापना का (डाक का) पूरा पता: 28, BADA BANGARDA, MR-5 MAIN ROAD, INDORE Dist.-INDORE

(4) स्थापना का कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप: Commercial Establishment

(5) मालिक, प्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	RAVI SOLANKI	SITARAM SOLANKI	A-172, VEENA NAGAR, SUKHLIYA, INDORE
प्रबंधक	NA	NA	NA
अभिकर्ता	NA	-	NA

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता:

स.क्र.	नाम	पद	पता
1	NA	NA	NA

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या	पुरुष	महिला	योग
पंजीयन शुल्क Rs. 200.00/-	2	1	3

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 28/Jun/2024 को पंजीयन की गई है।

निरीक्षक
Digitally Signed By R... SINGH THAKUR (PERSONAL) ... 43 IST
दुकान की स्थापना
अधिनियम 1958 के अंतर्गत

History of Registration, Renewal & Amendments						
Sr.	Date of Issue	Certificate Type	Fees paid	Validity	Date of Commencement of business	Date of First Registration
1	28/06/2024	Fresh	200.00	Life Time	01/06/2024	28/06/2024

टिप्पणी / महत्वपूर्ण सूचना

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] GST [illegible]
5. [illegible] वैकल्पिक रूप से [illegible]
6. [illegible]

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ज" {नियम 11 (1) देखिए}

रियल एस्टेट अभिकर्त्ता का पंजीयन प्रमाण-पत्र

अभिकर्ता का पंजीयन क्रमांक A -IND-24-1980

1. अधिनियम की धारा 9 के अधीन (किसी व्यक्ति की दशा में) श्री/श्रीमती ....

पुत्र श्री/श्रीमती ....

तहसील .... जिला .... राज्य ....

या

(फर्म/सोसाइटी/कम्पनी की दशा में) राज राजेश्वरी प्लॉटिंग एण्ड होम्स, इन्दौर

जिसका पंजीकृत कार्यालय/कारबार का प्रमुख स्थान इन्दौर में स्थित है को अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबन्धनों के अंतर्गत म.प्र. राज्य सरकार में पंजीकृत अचल संपत्ति परियोजना में यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिए रियल एस्टेट अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने हेतु यह पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है;

2. निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह पंजीयन प्रदान किया जाता है, अर्थात् :-

(एक) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता किसी ऐसी रियल एस्टेट परियोजना या इसके भाग में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा, जो कि ऐसे सम्प्रवर्तक द्वारा बेचा जा रहा है जिसका पंजीयन अपेक्षित है, परन्तु जो विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं;

(दो) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता ऐसे लेखे, अभिलेख और दस्तावेज संधारित तथा सुरक्षित रखेगा जैसा कि नियम 14 में उपबंधित है;

(तीन) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता अपने आप को कि अनुचित व्यापार प्रथा में सम्मिलित नहीं करेगा जैसा कि धारा 10 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट है;

(चार) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता यथास्थिति किसी भूखण्ड, भूखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा;

(पांच) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(छह) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है में तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा;

(सात) रियल एस्टेट अभिकर्त्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विनियम द्वारा विर्सयामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

3. पंजीयन वर्ष 10-10-2024 से प्रारंभ होकर और वर्ष 09-10-2029 तक पांच वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि अन्यथा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को उपबंधों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कर दिया जाता।

4. यदि रियल एस्टेट अभिकर्त्ता द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट अभिकर्त्ता के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण सम्मिलित है।

दिनांक 15-10-2024

स्थान : भोपाल

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी के ह...